भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4673
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2021

स्पेक्ट्रम की नीलामी से अर्जित राजस्व

4673. श्री सुधीर गुप्ता; प्रो0 सौगत राय; श्री रविन्दर कुशवाहा; श्री बिघुत बरन महतो; श्री रवि किशन; श्री श्रीरंग आप्पा बारणे; श्री चंद्रशेखर साहू; श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक; श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त नीलामी से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया है;
(ग) उक्त नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) न्यूनतम स्पेक्ट्रम नीलामी दर निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ड.)इस नीलामी के बाद देश में संचार प्रणाली को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाएगा और इस नीलामी के बाद देश में सिविल एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या उक्त नीलामी से प्रशुल्क-दरों में वृद्धि होगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) सरकार ने मार्च, 2021 में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज तथा 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने से संबंधित अधिकार की नीलामी की है।
(ख) स्पेक्ट्रम नीलामी बोली की कुल धनराशि 77820.82 करोड़ रूपए थी जिसमें से वित्त वर्ष 2020-21 में 21,918.47 करोड़ रूपए अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्त हुए हैं।
(ग) मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड ने इस नीलामी में भाग लिया है।
(घ) सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की दिनांक 01.08.2018 की स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में स्पेक्ट्रम के प्रत्येक बैंड के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था।
(ड.) दूरसंचार सेवा प्रदताओं (टीएसपी) ने 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज तथा 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी में 855.60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है तथा ये कंपनियां इन बैंड में अर्जित किए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग अपने नेटवर्क की क्षमता को संर्वधित करने के लिए करेंगी जिससे इनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
(च) टैरिफ पर नीलामी के पड़ने वाले प्रभाव का स्टीक रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अनेक घटकों के आधार टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। इस समय, अधिकतम टैरिफ को छोड़कर टैरिफ को इससे अलग रखा गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने सर्वश्रेष्ठ वाणिज्यिक हित तथा बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी टैरिफ पेशकश का निर्धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

******